प्रेस नोट **14/02/2025**

दो शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 20 लाख 64 हजार रूपये कीमती चोरी की गयी कुल 3344 साड़ियां बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व थाना दक्षिणटोला पुलिस की संयुक्त टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 13/14.02.2025 को बंधा रोड़ नवापुरा के पास से एक शातिर चोर होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा निकट खीरीबाग थाना कोतवाली नगर मऊ को गिरफ्तार किया गया। जो संबंधित मु0अ0सं0 45/25 धारा 305(क) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से सम्बन्धित मुकदमें में कुल 38 बोरियो में चुरा कर रखी 3344 अदद चोरी की साड़ी कीमती लगभग बीस लाख चौसठ हजार रूपये जिसमें से सहयोगी अभियुक्त मो0 आमिर के बंधा रोड नवा पुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला स्थित मकान से 34 बोरियों में कुल 3069 साड़ियां व सहयोगी अभियुक्त साहब अहमद के मकान मोहल्ला डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला से 4 बोरियों में कुल 275 साड़ियां बरामद किया गया । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण (1) मो0 आमिर पुत्र अब्दुल हई निवासी नवापुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ (2) साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला मऊ तथा (3) मो. उमर पुत्र मो. जकरिया निवासी हमीनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ की तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी जिस क्रम में दिनांक 14.02.2025 को अभियुक्त साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को मुखबिर की सूचना पर ढ़ेकुलिया घाट के पास से गिरफ्तार किया गया है । इस संबंध मे उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध का तरीका – अभियुक्त होजैफा नसीम एक शातिर किस्म का अपराधी है जो पिछले करीब 06 से 07 वर्षों से अफजाल साड़ी सेन्टर में काम करता है तथा पिछले कई महीनों से अपने तीन अन्य दोस्तों (1) मो0 आमिर पुत्र अब्दुल हई निवासी नवापुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ (2) साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला मऊ तथा (3) मो. उमर पुत्र मो. जकरिया निवासी हमीनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के साथ मिलकर एक नाजायज गिरोह बनाकर उनके साथ ही अफजाल साड़ी सेन्टर की दुकान व गोदाम से साड़ियों की चोरी कर उसे अपने घरों में इक्ट्ठा करते थे तथा बाद में उनको औने पौने दामों में बेचकर आपस में पैसे बराबर बांट लेते थे । साड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से ये लोग खुद का खर्च व घर का भी खर्च चलाते हैं ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु.अ.सं. 45/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता विवरण –

(1) होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा निकट खीरीबाग थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।
(2) साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद निवासी मोहल्ला डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त होजैफा नसीम की निशानदेही पर अफजाल साड़ी सेन्टर की दुकान व गोदाम से चोरी की गयी साड़ियों में से कुल 38 बोरियों में 3344 अदद चोरी की साड़ियां बरामद हुई हैं जिनकी कीमत करीब बीस लाख चौसठ हजार रूपये हैं। बरामद उपरोक्त साड़ियों का विवरण निम्न है -

1. सहयोगी अभियुक्त मो0 आमिर के मकान बंधा रोड नवा पुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला से 34 बोरियों में कुल 3069 साड़ियां बरामद हुई हैं।
2. सहयोगी अभियुक्त साहब अहमद के मकान मोहल्ला डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला से 4 बोरियों में कुल 275 साड़ियां बरामद हुई हैं।

गिरफ्तारी बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण –

1. निरीक्षक अनिल कुमार सिंह , प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह , प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. उ0नि0 विवेक राव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उ0नि0 अनिल द्विवेदी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. हे0का0विनोद कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. हे0का0रितेश राय थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. हे0का0 राजेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. का0अमरेश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. का0 अमरजीत मौर्या थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
10. का0 मित्रसेन यादव थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 14.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र बालचन्द यादव निवासी प्रेमनगर थाना दक्षिणटोला तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण मो0 नासिर पुत्र किताबुद्दीन निवासी मिश्रौलिया, सेराज पुत्र निसार निवासी भिक्खमपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।